जनपद - संतकबीरनगर　　　प्रेस विज्ञप्ति　　　दिनॉक 27-02-2021

आज दिनांक 27.02.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

160 अदद नकली 500-500 रु0 (80,000 रु0 मूल्य) के नोट को बैंक में जमा करवाने के मामले में प्रकाश में आये 02 अभियुक्तगणों को किया गया गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 59/21 धारा 489 (B) / 489(C) भा0द0वि0 में प्रकाश में आये 02 अभियुक्तगणों नाम पता 1- वजिहुद्दीन पुत्र अब्दुल हकीम निवासी बाघनगर थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर 2- अफरोज पुत्र महमूदुल हक निवासी गनेशपुर थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती को गिरफ्तार किया गया।

विदित हो कि अब्दुल हकीम पुत्र शब्बीर अहमद निवासी बाघनगर थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर द्वारा दिनांक 25.02.2021 को भारतीय स्टेट बैंक की शाखा बाघनगर मे 500-500 मूल्य वर्ग के 160 नोटों (80,000रु0) को जमा करवाने के उद्देश्य से गया था, नोटों की गणना करते समय नकली होने के शक पर कैशियर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सभी नोटो को चेक करवाने हेतु एसबीआई ब्रान्च बस्ती भेजकर शार्टिंग मशीन से चेक करवाया गया, सभी 160 अदद नोट नकली निकले थे। जिसके उपरान्त वादी कैशियर एसबीआई ब्रान्च बाघनगर श्री रविकान्त द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। विवेचना के दौरान प्रकाश में आये उक्त दोनो अभियुक्तगणों को आज दिनांक 27.02.2021 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण - उ0नि0 श्री मनोज कुमार सिंह, हे0का0 कैलाश पाण्डेय, हे0का0 रामधन तिवारी

युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले मे वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद में **मिशन शक्ति अभियान** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु **पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर डॉ कौस्तुभ** के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक जनपद सन्तकबीरनगर **श्री सन्तोष कुमार सिंह** में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी मेंहदावल **श्री रामप्रकाश** के निकट पर्यवेक्षण में **थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा** मु0अ0सं0 16/21 धारा 363/366 भा0द0वि0 मे वांछित अभियुक्त नाम पता भोला पुत्र जयश्री निवासी सिकरी थाना धर्मसिंहवा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त गणों द्वारा दिनांक 14.02.2021 को वा दिनी की पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था, जिसके संबंध मे वादि नी द्वारा थाना धर्मसिंहवा पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए दिनांक 27.02.2021 को उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री संजय सिंह, हे0का0 मोहन प्रकाश चौधरी, म0का0 ललिता देवी।

सार्वजनिक जुआ अधिनियम के अन्तर्गत 03 अभियुक्त गिरफ्तार, 910 रुपये नकद व ताश के 52 पत्ते बरामद

थाना बखिरा पुलिस द्वारा जुआ खेल रहे 03 अभियुक्त नाम पता 1 – मो0रजा पुत्र सरवर अली 2- अहमद अली पुत्र एहसान उल्ला 3 – राजेश निषाद पुत्र घिसीयावन निवासीगण लेडुआ महुआ थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को रोशन बड़ा मजार पोखरा के पास जुआ खेलते समय 210 रुपये मालफड़, 700 रु0 जामातलाशी व ताश के 52 पत्तो के साथ गिरफ्तार कर थाना बखिरा पर मु0अ0सं0 48 / 2021 धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री रविन्द्र नाथ, हे0का0 सुशील।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा दबिश के दौरान 01 वारण्टी नाम पता आशीष गुप्ता पुत्र श्रीराम गुप्ता निवासी तेलीटोला मगहर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण - प्रभारी चौकी मगहर उ0नि0 श्री आनन्द कुमार सिंह, का0 आदित्य यादव।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा दबिश के दौरान 01 वारण्टी नाम पता संतोष यादव पुत्र राधेश्याम निवासी हरपुर थाना मेंहदावल जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण - प्रभारी चौकी नौलखा उ0नि0 श्री सुनील कुमार सिंह मय हमराह।

अवैध चाकू के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा एक अदद नाजायज चाकू के साथ एक अभियुक्त नाम पता सद्दाम पुत्र जहरुल निवासी दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना बखिरा पर मु0अ0सं0 49/21 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम – उ0नि0 श्री प्रमोद यादव, हे0का0 सुमन्त राय।

25 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 04 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 05-05-05 ली0 (कुल 15 ली0) अवैध कच्ची शराब के साथ 03 अभियुक्त नाम पता 1- शिवप्रसाद प्रजापति पुत्र रामफेर 2- राजकुमार पुत्र हरिराम निवासीगण महादेवा थाना मेंहदावल 3- जीतेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र हरिलाल निवासी परतिया थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर को 05-05-05 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना बखिरा पर क्रमशः मु0अ0सं0 50/21, 51/21 व 52/21 धारा 60 (1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री रविन्द्र नाथ तिवारी, उ0नि0 श्री रणविजय सिंह, हे0का0 रामप्रवेश मिश्रा, का0 धनश्याम त्रिपाठी।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 10 ली0 अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त नाम पता 1अम्रिता पुत्री रामसुभग निवासिनी निघुरी टोला केवटहिया थाना बेलहरकला जनपद

सन्तकबीरनगर को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना बेलहरकला पर मु0अ0सं0 35/21 धारा 60 (1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री सदरुल आलमीन, हे0का0 योगेन्द्र यादव, का0 भूपेन्द्र प्रताप सिंह, म0का0 सन्ध्या सिंह।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 10 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना दुधारा द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना महुली द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 06 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बेलहरकला द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना धर्मसिंहवा द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3304 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल व्यक्ति को पहुँचाया गया अस्पताल – पीआरवी 3304 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत कोलुआ लकरा से इवेन्ट संख्या 02495 से कालर ने मार्ग दुर्घटना में एक होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 08 मिनट में पहुंचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल पहुँचाया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाकर उसकी जान बचाई गयी , जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।
पीआरवी स्टाफ –आ0 जितेन्द्र शाह, आ0 ब्रह्मा, हो0चा0 शिवानन्द चौधरी।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 91 वाहनो से 68500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 27.02.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 91 वाहनो से 68500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।